न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 2/2013 **दायर दिनांकः 07.03.2013**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी, अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

पार्टी नं. 1

1. विजय कुमार सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री बृजकिशोर सिंह जाति राजपूत निवासी अटरू थाना/तहसील अटरू जिला बारां राज0।

पार्टी नं. 2

1. बलवन्त सिंह आयु 75 वर्ष पुत्र बच्चन सिंह
2. मंजीत कोर आयु 72 वर्ष पत्नी बलवन्त सिंह
3. जगदीश सिंह आयु 23 वर्ष पुत्र बलवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासीगण रतनपुरा हाल बन्धा रोड गायत्रीनगर अटरू थाना अटरू जिला बारां ।

अप्रार्थीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 145, 146 दं0प्र0सं0

उपस्थिति :—

पार्टी नं0 1 :—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

पार्टी नं0 2 :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 04/05/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि सायल ने यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 CRPC का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू की साबिक ख0नं0 839/1160 की 11 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 1054/1242 की 6 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1054 की 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1059/1250 की 2 बीघा कुला किता 5 का रकबा 26 बीघा आराजी स्थित है उक्त आराजी महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, कोरसिंह, चन्द्रकोर, गजन सिंह, भजन सिंह, के शामलाती खाते दर्ज थी उक्त आराजी में से चन्द्रकोर मुख्तार आम बच्चन सिंह के माध्यम से एवं गजन सिंह, भजन सिंह द्वारा 8 बीघा आराजी को बेचान दिनांक 20.9.86 को सायल के भाई अनिल कुमार सिंह पुत्र

बृजकिशोर सिंह के पक्ष मं कर दिया था बेचान का अनुबन्ध सब रजिस्ट्रार अटरू के यहां भी निष्पादित करवा दिया था एवं आराजी पर कब्जा भी दिनांक 20.9.86 को ही सम्भला दिया था तभी से ही 8 बीघा आराजी को सायल ही अपने भाई की ओर से काश्त करवाता चला आ रहा है जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 70 का रकबा 0.93 है0 71 की 0.58 है0, 85/1214 की 1.73 है0, ख0नं0 90 का रकबा 1.11 है0, 69 का रकबा 1.35 है0, ख0नं0 85 का रकबा 0.89 है0 बनाये गये है। विवादग्रस्त आराजी का नवीन ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 बनाया है जिसमें से 1.28 है0 पर सायल का कब्जा काश्त वर्ष 1986 से आज तक चला आ रहा है। गैर सायल क्रम 1 ने सायल के भाई को बेचान की गई आराजी ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 पर कब्जा प्राप्त करने का एक दावा न्यायालय उप जिला कलेक्टर अटरू में पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2007 को खारिज कर दिया था एवं सायल के भाई अनिल कुमार सिह ने भी रजिस्ट्री कराने बाबत एक वाद न्यायालय ए.सी.जे.एम. छबडा के यहां संविदा की विशिष्ट अनुपालना हेतु पेश कर रखा है जो विचारधीन है एवं इस बाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया था जिसमें गैर सायल क्रम 1 को उक्त आराजी को रहन बेचान नही करने खुर्द बुर्द नही करने हेतु पाबन्द कर रखा है जिसकी पूर्ण जानकारी गैर सायलान क्रम 1 ता 3 को है। गैर सायल क्रम 1 ने न्यायालय ए.सी.जे.एम. छबडा के आदेश की पूर्ण जानकारी होते हुऐ भी अपने आपको गजन सिंह का फर्जी मुख्यतार आम बता कर ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 आराजी को गैर सायल क्रम 2 जो कि गैर सायल क्रम 1 की पत्नी है के नाम बेचान कर पंजीयन करवा दिया है। इस प्रकार गैर सायल क्रम 1 ता 3 ने कूट रचित दस्तावेज तेयार किया जिसकी भी कार्यवाही सायल ने गैर सायलान के विरूद्ध की थी जिसकी प्र0नं0 120/09 धारा 420, 467, 468, 471, 120 'बी' आई0पी0सी0 में थाना अटरू में दर्ज हुआ है। उक्त आराजी के कब्जे बाबत् गैर सायलान क्रम 1 लगायत 3 व सायल के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है गैर सायलान क्रम 1 ता 3 फर्जी एवं कूट रजियत रजिस्ट्री के आधार पर सायल के भाई अनिल कुमार सिंह द्वारा क्रय की गई आराजी जिसे सायल काश्त करवाता चला आ रहा है पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा सायल को बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण मौके पर शान्ती वयवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना उत्पन्न हो गई है गैर सायलान अवैध समूह का गठन कर अपने अवैध कृत्य में सफल होना चाहते है जिसमें खून खराबा होने का पूर्ण अंदेशा है ऐसी स्थिति में मौके

पर शान्ती व्यवस्था बनाये रखने के लिए विवादित आराजी ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है। चूंकि मौके पर विवाद आराजी के कब्जे काश्त को लेकर उत्पन्न हुआ है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश कर सायल निवेदन करता है कि ख0नं0 85/1214 का रकबा 1.73 है0 मे से 1.28 है0 विवादग्रस्त आराजी जो सायल के कब्जे काश्त में है पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रिसीवर नियुक्त कर काश्त व्यवस्था करवाई जावे तथा बाद सुनवाई इस्तगासा गैर सायलान क्रम 1 ता 3 को उनके कृत्य की सजा दी जावे एवं पुनः कब्जा सायल को संभलाया जावे।

2. प्रार्थी से प्राप्त परिवाद के तथ्यों की जांच हेतु प्रकरण दिनांक 18.06.2010 को थानाधिकारी अटरू भेजा गया। थानाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट अपने पत्रांक 242 दिनांक 11.01. 2013 से न्यायालय कार्यापालक मजिस्ट्रेट अटरू को भिजवायी गई। रिपोर्ट अनुसार वाकियात मामला हाजा इस्तगासा धारा 145 सीआरपीसी का जांच हेतु फरियादी श्री विजय कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी खेडलीगंज अटरू जिला बारां द्वारा विरूद्ध बलवन्त सिंह पुत्र बच्चन सिंह , मंजीत कौर पत्नि बलवन्त सिं , जग्गा उर्फ जगदीश सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति सिक्ख निवासी रतनपुरा हाल बन्धा रोड गायत्रीनगर खेडलीगंज अटरू के पेष किया । दौराने जांच ग्राम रतनपुरा माल ख0नं0 839/1160 की 11 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 1054/1242 की 6 बीघा 10 बिस्वा, ख0नलं0 1054 की 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1059/1250 की 2 बीघा कुल किता 5 का रकबा 26 बीघा जमीन स्थित है। उक्त आराजी पर महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह से चन्द्रकौर , गजनसिंह, भजनसिंह के शामलाती खाते में दर्ज हैं उक्त आराजी को चन्द्रकौर मुख्यतयारान बच्चनसिंह के माध्यम से गजनसिंह, भजनसिंह द्वारा 8 बीघा बेचान 20.09. 1986 को सायल के भाई अनिल कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह राजपूत को बेचान किया गया। का अनुबन्धीत सब रजिस्ट्रार अटरू के यहा पर भी निस्पादित करवा दिया गया था जब से ही 20.09.1986 से 8 बीघा जमीन पर कब्जा चला आ रहा था। उक्त जमीन को बेचकर पंजाब चले गये थे। जब से परिवादी काश्त करता आ रहा है। श्रीमान के न्यायालय में भी वाद पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है। व उक्त भूमि का वाद श्रीमान ए.डी.जे सा. छबडा में वर्तमान में

जेरकार है। वर्तमान में उक्त भूमि पर मंजित कौर , बलवंतसिंह, जगदीशसिंह पुत्र बलवन्त सिक्ख काश्त कर रहा है। भूमि पर दोनों पक्षों में कभी भी जमीन काश्त करने के उपरान्त कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। पूर्व में भी थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 120/2009 धारा 420, 467, 468, 120 बी आईपीसी में दर्ज किया गया था जिसमें एफआईआर. अदम सिगनेचर में भी दी गई तथा वर्तमान में वाद श्रीमान ए.डी.जे छबडा में चल रहा है। कभी भी सघेय अपराध घटित हो सकता है उक्त जमीन को धारा 146 सीआरपीसी में रिसीवर करने की कृपा करें ताकि इलाका हाजा में शान्ती भंग नहीं हो सके। बयानात गवाहन लिये गये। सम्पूर्ण जांच से मामला दोनों पक्षों में जमीनी विवाद काश्त के संबंध में झगउा होने की सम्भावना क्योंकि एक पक्ष द्वारा स्टाम्प पर जमीन खरीदी गई व एक पक्ष द्वारा मुस्तासायल से बेचान की गई है इसी बात लेकर गैरसायल सायल से खरीदारी के सम्बन्ध वापस मधन्ती आने व बदल जाने से वापस परिवादी द्वारा खरीदी गई जमीन पर गैर सायल ने कब्जा कर लिया है। दोनों के मध्य जमीनी विवाद होने से उक्त जमीन को रिसीवरी किया जाने की कृपा करें। ताकि इलाका हाजा में शान्ती कायम रह सके। जांच रिपोर्ट सम्पूर्ण दस्तावेज के श्रीमान की सेवा में पेश है।

3. थाना अधिकारी अटरू से प्राप्त परिवाद/इस्तगासा जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.01.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया। इस्तगासा के आधार पर प्रकरण स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित ग्राम एवं माल रतनपुरा तहसील अटरू की साबिक ख0नं0 839/1160 की 11 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 1054/1242 की 6 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 1054 की 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1059/1250 की 2 बीघा कुला किता 5 का रकबा 26 बीघा आराजी बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 70 का रकबा 0.93 है0, ख0नं0 71 की 0.58 है0, 85/1214 की 1.73 है0, ख0नं0 90 का रकबा 1.11 है0, 69 का रकबा 1.35 है0, ख0नं0 85 का रकबा 0.89 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.59 है0 से संबंधित होने और पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 120/2008 अन्तर्गत धारा 420, 468, 468, 471 व 120 बी आईपीसी एवं थानाधिकारी अटरू के मौखिक बयानो के आधार पर शान्ति भंग होने की संभावना के मध्य नजर धारा 145 (1) सीआरपीसी का प्राथमिक आदेश जारी कर पार्टी नं. 1 एवं पार्टी न. 2 की तलबी जर्ये नोटिस धारा 145 (3) सीआरपीसी के अनुसार की गई। पार्टी नं. 1 की ओर से श्री विनोद प्रताप सिंह

एड़0 द्वारा एवं पार्टी नं. 2 की ओर से श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

4. पार्टी न. 2 की ओर से अप्रार्थी क्रम 2 व 3 द्वारा पार्टी नं0 1 /प्रार्थी के इस्तगासे का जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गये है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित तथ्य न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय, अटरू के यहां वाद प्रस्तुत करना एवं न्यायालय ए.सी.जे.एम. साहब छबडा के यहां वाद पेश करना स्वीकार है , शेष तथ्यों की जानकारी नहीं होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह लिखे गये है, स्वीकार नहीं है। मुकदमा नं0 120/09 को थाना अटरू ने झूंठा मानकर अन्तिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में वर्णित तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है।

विशेष आपत्तियां

प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 के अनुसार दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने तथा वहां से स्थगन आदेश होने के कारण धारा 145 का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 2 को अप्रार्थी क्रम 1 ने जर्ये मुख्तयार नामा उसके भाई गजन सिंह के हिस्से 1/2 भूमि ग्राम रतनपुरा फार्म खेडलीगंज अटरू में स्थित ख0नं0 85 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 85/1214 रकबा 1.73 है0, ख0नं0 1272/51/1225 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1273/71 रकबा 0.29 है0 कुल 4 किता रकबा 2.99 है0 भूमि में से 1/2 भूमि अप्रार्थी क्रम 2 मंजीत कोर को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान करके मौके पर कब्जा सम्भला दिया था तब से ही इस भूमि पर अप्रार्थी क्रम 2 का बतौर स्वामी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को कोई स्वामित्व नहीं होते हुये भी तथा प्रार्थी का कोई कब्जा न होते हुये भी प्रार्थी ने जानबूझकर अन्तर्गत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्ष 2010 से विचाराधीन है। वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ तथा कोई शांति भंग नहीं हुई है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 2 वर्ष पूर्व से अप्रार्थी क्रम 2 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थना पत्र

में वर्णित भूमि को दिनांक 21.08.2008 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से ही बतौर स्वामी आज तक कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5 प्रार्टी नं0 1 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत P1W1 विजय कुमार सिंह पुत्र बृजकिशोर सिंह जाति राजपूत निवासी अटरू द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि दिनांक 20.09.1986 को 8 बीघा भूमि ख0नं0 सेटलमेन्ट 85/1214 की श्री बच्चन सिंह, चन्द्रकौर पत्नि बच्चन सिंह, गजन सिंह व भजन सिंह जाति सिख निवासी मोगा जिला थाद पंजाब की बन्धा रोड अटरू में स्थित होने खरीद कर कब्जे मे लिया था कुछ जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम हुई लेकिन उक्त भूमि शामलात खता होने रजि0 उस समय नहीं हो सकी। उक्त पर में ही कब्जे काश्त करता आ रहा था लेकिन दो वर्ष पूर्व मे मेरी लडकी की शादी करने टाटा नगर जिला सीघंभूम (झारखण्ड) चला गया था। पिदे से बलवन्त सिंह पुत्र बच्चन सिंह, जग्गा उर्फ जगदीश सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी बंधा रोड रतनपुरा अटरू ने जबरन कब्जा कर 85/1214 की भूमि 8 बीघा का फनी तरीके से नामा गजनसिंह पुत्र बच्चन सिंह सिक्ख से लाना बताकर उक्त भूमि को स्वयं की पत्नी के नाम बैचान करवा कर उक्त भूमि पर बैक एस0बी0 से 50,000 लोन भी ले लिया । मैं मेरी जीम को जोतने गया तो मुझ से झगडने पर उतारू हुऐ व गाली गलोच कर के कहा कि जिसके लठ में ताकत होगी वह जमीन जोतेगा और मेरी जमीन में जबरन फसल बो दिया था। अब में जमीन पर जाता हूँ तो अवश्य ही खून खराबा होगा। ऐसी स्थिति में मेरे कब्जे काश्त भूमि 85/1214 को रिसवर करवाने में न्याय मिलेगा।

प्रार्टी नं0 1 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत P1W2 प्रेमबिहारी पुत्र देवीसिंह जाति ठाकुर निवासी खेडलीगंज अटरू द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि मैं खेडलीगंज अटरू का रहने वाला हूँ बन्धा रोड पर मेरी जमीन के पडोस में बच्चन सिंह, भजन सिंह , गजन सिंह तथा चन्द्रकौर जाति जाट सिख की जमीन है। सन 1986 में विजय कुमार सिंह जी को बच्चन सिंह, गजनसिंह, भजनसिंह व चन्द्रकौर ने बैचान कर रजि0 करवा दिया था तथा खसरा नं0 85/1214 रकबा 8 बीघा की रजि0 नहीं हुई थी लेकिन विजय सिंह इसे जमीन पर कब्जा काश्त कर रहा था दो वर्ष पूर्व विजय कुमार सिह अपनी लडकी की शादी करने उनके देश जमसेतपुर झारखण्ड चले गये थे। पीछे बच्चनसिंह का लडका जगदीश उर्फ जग्गा सिख ने कब्जा करके फसल बोना

शुरू कर दिया है। अभी भी फसले मक्का उक्त भूमि में बो रखी है। विजय कुमार अपनी जमीन को जोतने गये तो जग्गा ने गाली गलोच कर के भगा दिया और जीम अपनी होना बताया। यदि विजय कुमार सिंह जाता है तो अवश्य की दोनों झगडा होगा। जमीन पर दो कमरे भी विजय कुमार जी ने बना रखे थे जिनके पक्की छत नहीं डाली थी। वह भी कब्जे में लेकर रहने लग गया है। जग्गा ने ही 85/1214 की भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है।

6. प्रार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत p2W1 जगजीतसिंह उर्फ जग्गा पुत्र बलवन्त सिह जाति जाट सिख निवासी रतनपुरा द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि हमारे चाचा गजनसिंह व मेरे पिता के नाम पर भूमि ग्राम रतनपुरा में ख0नं0 85/1214 की 1.73 है0 में से 1.28 है0 भूमि मेरे चाचा गजनसिंह ने सन 2008 में मेरी मां मंजीतकौर के नाम पर रजि0 कराके बैचान किया है। उक्त भूमि पर हम लोग पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे है हमारे रिस्तेदारों ने अनिलसिंह को पूर्व में जमीन बैची वह अनिल सिंह के पास है। विजयकुमार व अनिलसिंह हमारी जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की नियत से हमारे को परेशान कर रहे है। जमीन हमारी है मेरी मां के नाम पर रजि0 है तथा लोन भी ले रखा है। इसी जमीन का विजय कुमार सिंह ने अपने नाम कराने के नाम पर एक झूंठा ही केस छबडा में चला रखा है। जिसकी हमारे खिलाफ आगामी पेशी दिनांक 18.11.2010 है।

प्रार्टी नं0 2 द्वारा साक्ष्यगवाह के अन्तर्गत p2W2 श्रीमति मंजीत कौर पत्नि बलवन्त सिह जाति जाट सिख निवासी बन्धा रोड रतनपुरा द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि मेरे रिस्तेदारों की भूमि माल रतनपुरा में भी जिसको की अनिल सिंह को बैचान कर गये थे तथा जमीन की अनिलसिंह राजपूत के नाम रजि0 उसी समय करादी बताई जो जमीन अनिल सिंह व विजय कुमार सिंह को बैची उसमें वह लोग ही काश्त कर रहे है। मैने इनकी जमीन पर कोई जबरन कब्जा नही किया है। गजनसिंह सिख ने उसके खाते की जमीन 85/1214 की 1.73 है0 में से 1.28 है0 भूमि मेरे नाम पर सन 2008 में तहसील अटरू कराके रजि0 की है। सन 2008 से ही मे उक्त भूमि पर काश्त करती आ रही हूॅ तथा इस भूमि पर मैंने एस.बी0आई. बैंक से केसीसी बना कर 50000 रू लोन भी ले रखा है। मेरे खिलाफ विजय कुमार सिंह ने थाना अटरू में एक झूंठा मुकदमा दर्ज इस भूमि का कराया था वह भी झूंठा ही पाया गया। मेरी जमीन 1.28 है0 को अनिल सिंह व विजय कुमार सिंह जबरन ही हमें डरा धमका के कब्जा करना चाहते है। गजन सिंह मुझे बैच कर मेरे नाम रजिस्ट्री करवा के गया है। अनिल सिंह की यहां पर कोई

भूमि नहीं है। अपने नाम अनिल सिंह ने उक्त भूमि को कराने के जिसे छबडा न्यायालय में भी मेरी तारीख करवा रखी है जो आगामी पेशी 18.11.2010 है। जिसकी भी मेने नकल पेश कर दी है।

7. साक्ष्य स्वतंत्र गवाह के अन्तर्गत श्री रामगोपाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति नायक पटवारी हल्का खेडलीगंज अटरू निवासी श्यामपुरा, बारां द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि मैं हल्का पटवारी खेडलीगंज का हूॅ। ग्राम रतनपुरा भी मेरे हल्के में आता है। ख0नं0 85/1214 रकबा 1.73 है0 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार गजनसिंह पुत्र बच्चन सिंह ने ग्राम रतनपुरा के खाता नं0 58 वर्तमान रिकार्ड कुल किता 4 कुल रकबा 2.99 है0 में से गजनसिंह ने अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि मंजीत कौर पत्नि बलवन्त सिंह जाति सिख को बैचान जर्ये रजि0 इंतकाल नं0 268 दिनांक 24.12.2008 को मंजीत कौर के खाते दर्ज है। इस भूमि में विजय कुमार सिंह तथा अनिल कुमार सिंह को कोई नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज नहीं है। नकल भूमि दी जा रही है।

8. अभिभाषक पार्टी नं0 1 एवं अभिभाषक पार्टी नं0 2 की बहस सुनी गई। उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/पार्टी नं0 1 के परिवाद/इस्तगासा, पार्टी नं0 2 के जवाब इस्तगासा ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 , नामान्तरण संख्या 268 दिनांक 24.12.2009, ग्राम रतनपुरा की खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2066, दर्ज एफआईआर 120/2009 दिनांक 15.05.2009, एसीजीएम अटरू के प्रकरण संख्या 04/2012 में निर्णय दिनांक 07.10.2015, गवाहों के सशपथ बयान, आदि का अवलोकन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/पार्टी नं01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि पार्टी नं0 2 नें कुटरचित रजिस्ट्री के आधार पर प्रार्थी के भाई अनिल कुमार की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है जिससे दोनों पक्षों के मध्य लडाई झगडे व खून खराबा होने की पूर्ण आशंका है। अतः शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विवादित आराजी 85/1214 रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 पर श्रीमान तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/पार्टी नं 2 द्वारा दौरान ए बहस तर्क किया कि अप्रार्थीगण /पार्टी नं0 2 ने उक्त विवादित आराजी को अभिलिखित खातेदार गजनसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था जिसका नामान्तरण 24.12.2008 को अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक हो चुका है।

प्रार्थी/पार्टी नं0 1 द्वारा उक्त विवादित आराजी को लेकर शांतिभंग की संभावना की संभावना के आधार न्यायालय में इस्तगासा वर्ष 2013 पेश किया था लेकिन वर्ष 2013 से लेकर आज तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य न तो कोई भी विवाद/लडाई झगडा हुआ है और न ही शांति भंग होने के संबंध में प्रार्थी/पार्टी नं0 1 एवं थानाधिकारी अटरू द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः जब स्थानीय शान्ति व्यवस्था के भंग होने की कोई संभावना नहीं है तो धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी/पार्टी नं0 1 का इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 व 146 सी.आर.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

9. धारा 145 सीआरपीसी की मूल भावना विवादित भूमि या जल क्षेत्र या इनसे संबंधित सीमाओं के स्वामित्व/टाईटल/अधिकार का जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं कर दिया जाता तब तक उस सम्पति के विवाद को समाप्त कर या रोककर स्थानीय शांती व्यवस्था को बनाये रखना है। धारा 145(1) सीआरपीसी के अधीन प्राथमिक आदेश जारी करने के बाद कभी भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लगे कि–

(i) विवादित भूमि को लेकर कोई आपत स्थिति (emergency) उत्पन्न हो गई है, जिसका अतिशीघ्र निवारण आवश्यक है और,

(ii) विवादित भूमि अधरझूल (In-medio) में है अर्थात किसी भी पक्षकार का कब्जा नहीं है और,

(iii) किसी भी पक्षकार के वास्तविक कब्जे का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो।

ऐसी स्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही की जानी होती है। उक्त प्रकरण में धारा 145/146 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व निम्न 4 बिन्दुओं पर भी विचार करना जरूरी हैः–

(i) <u>विवाद दो पक्षकारों के मध्य है</u> –ग्राम रतनपुरा के नवीन ख0नं0 85/1214 रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 भूमि के स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण को लेकर पार्टी नं0 1 विजय कुमार सिंह एवं पार्टी नं0 2 मंजित कौर व जगदीश सिंह के मध्य विवाद है।

(ii) <u>विवादित संपत्ति पर कब्जाः</u>– ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में पार्टी नं0 2 मंजित कौर के दिनांक 24.12.2008 से खाते दर्ज है। पार्टी नं0 2 द्वारा पेश

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2013, साक्ष्य गवाहन P2W1, P2W2, साक्ष्य गवाहन P1W1, P1W2, तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का, रतनपुरा आदि के आधार पर वर्तमान में पार्टी नं0 2 का कब्जा प्रतित होता है।

(iii) वाद का सक्षम न्यायालय में लंबित होना :– उक्त प्रकरण में विवादित सम्पति कृषि आराजी है जिसके स्वामित्व/टाईटल के निर्धारण के लिए निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में किसी वाद के लंबित होने का कोई भी साक्ष्य किसी भी पक्षकार द्वारा पेश नहीं किया गया। अतः यह माना जायेगा कि विवादित आराजी के स्वामित्व/टाईटल को लेकर सक्षम न्यायालय में वर्तमान मे कोई वाद लंबित नहीं है।

(iv) शान्ति भंग होने कि प्रबल संभावना नहीं होना :– उक्त प्रकरण में थानाधिकारी अटरू, पार्टी नं0 1 या पार्टी नं0 2 – किसी भी पक्षकार द्वारा वर्ष 2013 से आजतक ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी को लेकर शांति भंग होने की प्रबल आशंका है। दोनों पक्षकारों के मध्य लडाई झगडे को लेकर न तो कभी धारा 107, 116 व 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरोधात्मक और न ही आई पी सी के अधीन आपराधिक कार्यवाही किये जाने का कोई प्रमाण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी/पार्टी नं0 1 यह सिद्ध करने में विफल रही है कि ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 85/1214 रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 को लेकर 9 वर्षों से शांति भंग हुई हो या भंग होने की प्रबल संभावना हो। शांन्ति भंग के सामान्य प्रकरणों में पुलिस को धारा 145 व 146 सीआरपीसी के स्थान पर धारा 107/151 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करना न्यायोचित होगा।

10. धारा 145 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करने/अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व धारा 145 की उपधारा 4 व 6 के अधीन न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को समझना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :–

Section 145(4) :– The Magistrate shall then, without reference to the marits or the claims of any of the parties, to a right to possess the subject of dispute, peruse the statements so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them, take such further evidence, if any as he thanks necessary, and, if

possible, decide whether and which of the parties was, at the date of the order made by him under Sub-Section (1), in possession of the subject of dispute;

Provided that if it appears to the Magistrate that any party has been forcibly and wrongfully dispossessed within two months next before the date on which the report of a police officer or other information was received by the Magistrate, or fater that date and before the date of this order under Sub-Section (1), he may treat the party so dispossessed as if that party had been in possession on the date of his order under Sub-Section (1).

Section 145(6)– (a) If the Magistrate decides that one of the parties was, or should under the proviso to Sub-Section (4) be treated as being, in such possession of the said subject, he shall issue an order declaring such party to be entitled to possession therof until evicted therefrom in due course of law, and forbidding all disturbance of such possession until such eviction; and when he proceeds under the proviso to Sub-Section (4), may restore to possession the party forcibly and wrongfully dispossessed.

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा 145 उपधारा 6(क) सीआरपीसी के अधीन अन्तिम आदेश जारी कर ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 85/1214 रकबा 1.73 है0 में से 1.28 है0 पर पेश इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 व 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। थानाधिकारी अटरू को आदेशित किया जाता है कि शांन्ति भंग के सामान्य प्रकरणों में पुलिस को धारा 145 व 146 सीआरपीसी के स्थान पर धारा 107/151 सीआरपीसी के अधीन कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां